



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2017—फाल्गुन 9, शक 1938

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 17.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 मन्. 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश स्तोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सेवाएं

संख्या	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17. ११	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक नियंत्रण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत सम्पादित (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाइकिंग उद्योगों को छोड़कर).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस।	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल।	30 कार्य दिवस।	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.12	लाल/नारंगी/हरी ट्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर म. प्र. तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत सम्मति (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.13	लाल/नारंगी/हरी ट्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर म. प्र. तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, बोल्डर गिट्टी एवं रेत खदान को परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकर (17) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एवं खतरनाक अपशिष्टों की रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग वाले उद्योगों को छोड़कर).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.14	लाल/नारंगी/हरी ट्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, सेजर एवं माइनर मिनरल्स की सभी खदानों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत सम्मति.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.15	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् सम्मति.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.16	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण परियोजनायें, मेजर एवं माईनर मिनरल्स की सभी खदानों को परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.17	200 बिस्तर या उससे अधिक क्षमता के चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान व्यवस्था के संचालकों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.18	200 बिस्तर से कम क्षमता के चिकित्सा संस्थान पेथोलोजी, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सालय क्लीनिक एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवोनीकरण.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.19	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक नियम एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के अपवहन व्यवस्था के संचालकों को प्राधिकार.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.20 नगरीय त्रोस अधिकारी नियम, 2016 के अन्तर्गत नगर पालिक परिषद् एवं नगर पंचायत को प्राधिकार एवं नवीनीकरण.	लेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	संदर्भ सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 18.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन्. 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-अपील प्राधिकारी का पदनाम हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-18 दिनांक 10 अप्रैल 2013 में संशोधन करते हुए पदाधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है. अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.1 जन्य का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	7 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	21 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	
18.2 मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	7 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	21 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/ नगर परिषद्).	7 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	21 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).
18.3	जन्म के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिये अनुमति.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	15 कार्य दिवस.	अनुबिभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
18.4	मृत्यु के 1 वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिये अनुमति.	तहसीलदार/ अपर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार.	15 कार्य दिवस.	अनुबिभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
18.5	जन्म प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी। प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक। नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्)	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार
			15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार
			15 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.6 मृत्यु प्रमाण-पत्र.	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	
	प्रसव सुविधा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक.	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	30 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	
	नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्).	15 कार्य दिवस.	जिला रजिस्ट्रार	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (कलेक्टर).	
18.7 विवाह पंजीयन	ग्रामीण क्षेत्र पंचायत सचिव/पंचायत कर्मी.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत).	15 कार्य दिवस.	उप जिला विवाह रजिस्ट्रार	
	नगरीय क्षेत्र स्वास्थ्य अधिकारी (नगर निगम)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (नगरपालिका/नगर परिषद्).	30 कार्य दिवस.	उप जिला विवाह रजिस्ट्रार.	15 कार्य दिवस.	जिला विवाह रजिस्ट्रार (कलेक्टर).	

नोट.— भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सांगर एवं उज्जैन जिलों में संयुक्त संचालक अशोकनगर, बुरहानपुर, अलोराजपुर, अनूपपुर, सिंगरौली जिलों में जिला सांखियकी अधिकारी एवं शेष जिलों में जिला योजना अधिकारी जिला रजिस्ट्रार होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हसिरेजन गव, सचिव,

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2017

प्रपत्र-1

क्र. एफ 2-13-2012-इक्सठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 7.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

**मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की सेवाएं**

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (अ) सामूहिक विवाह.	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद (ब) गैर-सामूहिक विवाह.	(अ) 07 कार्य दिवस. शहरी क्षेत्र- आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् अधिकारी.	सी.ई.ओ. जिला पंचायत.	(अ) 07 कार्य दिवस.	कलेक्टर
2	मुख्यमंत्री निकाह योजना	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	15 कार्य दिवस.	सी.ई.ओ. जिला पंचायत.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र- आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् अधिकारी.		कलेक्टर		संभाग आयुक्त
3	मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फोस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना.	संयुक्त संचालक/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	निःशक्ति विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना.	संयुक्त संचालक/ उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	संशाग आयुक्त
5	मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	कमिशनर	30 कार्य दिवस.	संचालक/ आयुक्त सामाजिक न्याय.
6	छ: वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान योजना.	संयुक्त संचालक/ उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.	07 कार्य दिवस.	सी.ई.ओ. जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
7	निःशक्त व्यक्तियों के लिये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना.	संयुक्त संचालक/ उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.	15 कार्य दिवस.	सी.ई.ओ. जिला पंचायत.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर
8	निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना.	संयुक्त संचालक/ उप-संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण.	15 कार्य दिवस.	सी.ई.ओ. जिला पंचायत.	07 कार्य दिवस.	कलेक्टर
9	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना (अ) प्रसूति व्यय/ अवकाश एवं चिकित्सा सहायता. (ब) प्रसूति व्यय राशि रूपये 1400/- (जननी सुरक्षा अंतर्गत). (स) प्रसूता को 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य मजदूरी राशि.	(अ), (ब), (स), (द) एवं (इ) के लिए ग्रामीण क्षेत्र- विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	(अ), (ब), (स), (द) एवं (इ) के लिए शहरी क्षेत्र- सिविल सर्जन/ अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल.	(अ), (ब), (स), (द) एवं (इ) के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी. मुख्य चिकित्सा अधिकारी.	(अ), (ब), (स), (द) एवं (इ) के लिए —	(अ), (ब), (स), (द) एवं (इ) के लिए कलेक्टर कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(द) पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि.					
	(इ) दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना अंतर्गत चिकित्सा सहायता.					
	(फ) छात्रवृत्ति: कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं के अध्ययनसत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रूपया 100/- की दर से शिक्षावृत्ति प्रदान की जाती है.	(फ) के लिए: संकुल केन्द्र प्राचार्य, शासकीय उच्चतर मा. वि. के प्राचार्य/हेड मास्टर.	(फ) के लिए: 21 कार्य दिवस	(फ) के लिए: जिला शिक्षा अधिकारी	(फ) के लिए: 21 कार्य दिवस	(फ) के लिए: मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
	(ग) बीमा सहायता					
	(ह) आम आदमी बीमा योजना अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है					
	(इ) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है.	(इ) के लिए: ग्रामीण क्षेत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र, आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका/ नगर परिषद् अधिकारी.	(इ) के लिए: 15 कार्य दिवस	(इ) के लिए: सी.ई.ओ. जिला पंचायत, कलेक्टर	(इ) के लिए: 15 कार्य दिवस	(इ) के लिए: कलेक्टर
	(ज) अंत्येष्ठि सहायता					
10	वृद्धाश्रमों के लिये अनुदान.	ग्रामीण क्षेत्र- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,	30 कार्य दिवस.	सी.ई.ओ. जिला पंचायत, कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
	(अ) वृद्धाश्रमों का अनुरक्षण.					
	(ब) रेस्फाईट केयर गृह का रखरखाव/ नियंत्रित संरक्षण केन्द्र का संचालन.	शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् अधिकारी।	कलेक्टर			संभाग आयुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(स) बहुसेवा केन्द्र						
(द) मोबाइल चिकित्सा इकाई.						
(इ) डिमेनशन्या से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल के लिये दिवा देखभाल केन्द्र.						
(फ) फिजियोथेरेपी क्लिनिक.						
(ग) वृद्ध व्यक्तियों के लिये हेल्पलाईन एवं परामर्श का कार्य.						
(ह) स्कूल एवं कालेज के छात्रों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम.						
(ई) वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण हेतु जागरूकता कार्यक्रम.						
(ज) वृद्ध व्यक्तियों के लिये स्वैच्छिक ब्लॉग.						
(क) वृद्ध संघों/वरिष्ठ नागरिक संघों/ स्वसहायता समूहों का गठन.						
(ल) वृद्ध विधवा महिलाओं के लिये वहुमुविधा देखभाल केन्द्र.						
(म) क्षेत्रीय प्रशिक्षण एवं संसाधन केन्द्रों की स्थापना.						

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.